Title: Need for creation of a separate State of Vindhya Pradesh - Laid.

श्री सुन्दरलाल तिवारी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2000 को मध्य प्रदेश की विधान सभा ने पृथक विन्ध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा था। केन्द्र सरकार जुलाई, 2000 में संसद में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों के गठन हेतु विधेयक लायी, किंतु विन्ध्य प्रदेश को छोड़ दिया है।

मार्च, 1948 में विन्ध्य प्रदेश का गठन हुआ था, किंतु बड़े राज्यों की परिकल्पना के कारण 1956 में विन्ध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। इस दृटि से भी छोटे राज्यों के गठन में विन्ध्य प्रदेश का पहला अधिकार बनता है। इसके अतिरिक्त, विन्ध्य प्रदेश आर्थिक रूप से पूर्ण स्वावलम्बी है। मध्य प्रदेश का कुल खनिज सम्पदा का 40 प्रतिशत हिस्सा, सीमेंट उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा विन्ध्य प्रदेश में है। 4 राष्ट्रीय उद्यान, 6 अभ्यारण्य और खजुराहो, चित्रकूट, ओरछा अमरकंटक, बांधवगढ़ जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं।

मेरा सरकार से पुनः अनुरोध है कि विन्ध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करे ताकि विन्ध्य प्रदेश शीघ्र अस्तित्व में आ सके।